of India during 1967-68 from indigenous and imported sources separately ;

(b) the expenditure incurred on the Organisation during the above period ; and

(c) the over-head charges incurred by the Corporation on the handling of foodgrains till their distribution and charges realised from the consumers ?

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN RAM) : (a) The Food Corporation of India handled the following quantities of foodgrains during the financial year 1967-68 :—

(Figures in lakh tonnes)

(i) Indigenous	...	30.6
(ii) Imported	...	25.0

(b) About Rs. 541 lakhs on the basis of provisional figures of expenditure for 1967-68.

(c) The estimated expenditure on overhead charges (*i.e.* administrative charges, interest, milling, handling charges, and freight) of the Corporation works out to about Rs. 5/- per quintal for the year 1967-68 upto the stage of issue of foodgrains to the nominees of the State Governments. The Corporation does not sell foodgrains in retail to consumers. The retail prices to be charged from the consumers are fixed by the respective State Governments and are based on the cost of foodgrains received from all sources including internal purchases and also after taking into account the State's administrative charge, margin allowed to the retailer and local taxes if any.

श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या यह सही है कि फूड कारपोरेशन का जो प्रशासनिक खर्चा है, उस सब को इस में जोड़ लिया जाता है; यदि हां, तो इस खर्चे को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ? फूड कारपोरेशन के प्रशासनिक खर्चे का जिक्र अखबारों में और कुछ रिपोर्टस में भी किया गया है और कहा गया है कि वह खर्चा बहुत ज्यादा है, जब कि उस का काम जितना अच्छा होना चाहिये, वह उतना अच्छा नहीं है । क्या मन्त्री महोदय इस बारे में कुछ कार्यवाही करेंगे ?

श्री जगजीवन राम : इस को बराबर देखा जाता है और जहां तक मालूम है, उसका प्रशासनिक खर्चा बहुत ज्यादा नहीं है । कभी यह होता है कि अगर अनाज ही कम मिले, तो ज्यादा खर्चा पड़ता है । लेकिन, जैसा कि मैंने बताया है, कई एक मदों को मिला कर जो खर्चा है, उस को ज्यादा नहीं कहा जा सकता है ।

श्री महन्त दिग्विजय नाथ : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न पूछने से पहले यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस प्रश्न की सूचना मैं ने दी थी, उस में परिवर्तन कर दिया गया है । उस को तोड़-मरोड़ देने से उस के मूल अर्थ का उद्देश्य ही निकल गया है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप प्रश्न पूछना चाहते हैं या नहीं ?

श्री महन्त दिग्विजय नाथ : मेरा निवेदन यह है कि मूल प्रश्न के आधार पर यह मेरा प्रश्न नहीं है, यह दूसरा प्रश्न है ।

MR. SPEAKER : Normally they club them. If the hon. Member does not want to put the question I will call the next name on the list. There are five names.

श्री महन्त दिग्विजय नाथ : मैं इस प्रश्न में संशोधन करना चाहता हूं । लेकिन मंत्री महोदय छपे हुए प्रश्न का ही उत्तर दें ।

SHORT NOTICE QUESTION

"ताजिया" के कारण लखनऊ-दिल्ली डाकगाड़ी का रोका जाना

SNQ. 25. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री राम चरण :
श्री बशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लखनऊ-दिल्ली डाकगाड़ी, जिसका दिल्ली स्टेशन पर पहुँचने

का निर्धारित समय प्रातः 9 बजे था, 10 अप्रेल, 1968 को दोपहर बाद लगभग साढ़े तीन बजे वहां पहुँची;

(ख) क्या रेल की पटरी पर एक 'ताजिया' रखे जाने के कारण गाड़ी को रुकना पड़ा था;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है, और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री रोहन लाल चतुर्वेदी) (क) जी हां।

(ख) से (घ). 9 अप्रैल, 1968 की रात को लगभग 10.00 बजे मुहर्रम के जुलूस में शामिल कुछ लोग जो ताजिये ले जा रहे थे, मुरादाबाद में एक समपार से रेलवे लाइन को पार करना चाहते थे। चूंकि उन में से एक ताजिया इतना ऊंचा था कि वह रेलवे की ऊपरी संचार तारों के नीचे से नहीं गुजर सकता था, इसलिए जुलूस के लोगों ने आग्रह किया कि जुलूस ले जाने के लिए तार काट दिये जायें और उन्होंने गाड़ियों को समपार से गुजरने नहीं दिया। चूंकि कानून और व्यवस्था बनाये रखना स्थानीय सिविल प्राधिकारियों की जिम्मेदारी है, इसलिए इस मामले की सूचना विधिवत् उत्तर प्रदेश सरकार के जिला प्राधिकारियों को दे दी गई। जिला प्राधिकारियों ने लाइन के ऊपर लगे तारों को काटने का आदेश दिया और 10.4.68 को सवेरे 5 बजकर 20 मिनट पर उन तारों को काट देना पड़ा। इसकी वजह से 10.4.68 के सवेरे तक गाड़ियों का आना-जाना बन्द रहा और परिणामस्वरूप कई गाड़ियां आधे घन्टे से लेकर लगभग सात घन्टे तक रुकी रहीं।

श्री महन्त दिग्विजय नाथ : मैं जिस गाड़ी से सफर कर रहा था और मेरे साथ उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व खाद्य मंत्री और अब इस सदन के माननीय सदस्य, श्री झारखंडे राय भी थे। हमारी गाड़ी जिस वक्त रामपुर में रुकी रही, तो कारण पूछने पर पता चला कि लाइन पर ताजिया रख दिया गया है। उस वक्त हरिद्वार अर्द्धकुम्भ का अवसर था। जहां तक मुझे सूचना मिली है, इस कारण से वहां पर 18 गाड़ियां, जिसमें मालगाड़ी, मेल और पैसेन्जर रोक दी गयी। जब तक ये तार नहीं काटे गये, तब तक उन गाड़ियों को जाने की आज्ञा प्रदान नहीं की गयी। इस प्रश्न के पूछने का मेरा अभिप्राय यह है कि ये जो घटनायें आज देश में साम्प्रदायिक दंगों के नाम पर हो रही हैं, वे एक चेन हैं, जिसकी यह एक कड़ी है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि मुरादाबाद में कटघर के पास जिस जगह पर ट्रेन पर यह ताजिया रख दिया गया था, क्या उस जगह पर पहले भी कभी ताजिया रखा गया था; यदि रखा गया था, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इतना ही बड़ा ताजिया या इस से छोटा ताजिया हमेशा जाया करता था। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि रेलवे ट्रेक पर टेलीफोन के तार नये लगाये गए थे या पुराने लगे हुए थे; यदि पुराने लगे थे, तो प्रतिवर्ष यह ताजिया कैसे ले जाया जाता था और इस स्थिति में ये तार काटने का आदेश क्यों दिया गया। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि ये तार काटने की जिम्मेदारी रेलवे अधिकारियों पर है, अथवा केन्द्रीय गृह मंत्रालय के आदेश से ये तार काटे गए ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : माननीय सदस्य का पहला प्रश्न यह है कि क्या यह ताजिया रेलवे लाइन पर पहली दफा रखा गया। उस सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है कि वह पहली दफा वहां रखा गया था। उनका दूसरा प्रश्न यह है कि क्या ये तार हमेशा वैसे ही लगे थे और क्या वे पहले इतने ही ऊंचे थे। उस सम्बन्ध में मैं सिर्फ इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि शायद दिसम्बर, 1967 में वायर्ज का कुछ रीएलाइनमेंट हुआ था और उस सिलसिले

में शायद कुछ ऊंच-नीच हो गई हो। मैं उसके बारे में ठीक से नहीं बता सकता हूं।

श्री महन्त दिग्विजय नाथ : यात्री गाड़ियों और माल-गाड़ियों के घंटों लेट होने के कारण हजारों यात्रियों को जो असुविधा हुई और आवश्यक कार्यों में विलम्ब होने से उन्हें जो मानसिक तथा आर्थिक क्षति उठानी पड़ी, उस की जिम्मेदारी किस पर है ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : जब इस किस्म की कोई घटना होती है, तो परेशानी सब को सहनी पड़ती है, माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि चूंकि वह अर्द्ध-कुम्भ का समय था, इसलिए काफी यात्री जा रहे थे। सिवाये इसके कि इसके लिए मैं खेद प्रकट करूं कि उन को तकलीफ हुई, मैं इस वक्त इसका और क्या उत्तर दे सकता हूं ?

श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या यह सही है कि यह जो ताजिया पटरी पर रखा गया, वह जान-बूझ कर, योजनाबद्ध तरीके से, झगड़ा और शरारत करने के लिए रखा गया था ? क्या रेलवे प्रशासन ने इस के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही की है; यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ? इस कारण जो गाड़ियां लेट हुई, उससे यात्रियों को जो परेशानी हुई और जो तार काटे गये, इससे कितनी धन-हानि हुई है, क्या सरकार ने इसका हिसाब लगाया है ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : माननीय सदस्य ने यह संकेत किया है और पूछा है कि क्या यह ताजिया आर्गनाइज्ड वे में और किसी योजना के अनुसार वहां पर रखा गया था। इस सिलसिले में मैं कुछ बताने की स्थिति में नहीं हूं। इसके बारे में स्थानीय प्राधिकारियों, अफसरों, को ज्यादा मालूम होगा। जो सूचना मेरे पास है, वह मैंने दे दी है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : इस सवाल की सूचना 11 अप्रैल को दी गई थी। क्या अब तक मंत्री महोदय को इस बारे में जानकारी नहीं मिली है ? यह बड़े दुख की बात है।

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : इस के बारे में मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि हमने स्थानीय प्राधिकारियों, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सुपरिटेडेंट पुलिस को इनफर्मेशन, इत्तिला दे दी और उन्होंने जरूरी कार्यवाही की। इसमें रेलवे मंत्रालय क्या कर सकता है ?

श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या उन लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई ? क्या इस मामले की कोई छानबीन की गई कि किन लोगों ने इसमें भाग लिया ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : माननीय सदस्य थोड़ा समझने की कोशिश करें, यह मेरा निवेदन है। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों का, रेलवे मंत्रालय का, पहला फर्ज यह है कि स्थानीय प्राधिकारियों को, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सुपरिटेडेंट आफ पुलिस को, खबर करें। वे ला एंड आर्डर के लिए रेसपांसीबल हैं। जब ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है, तो जैसे वे आदेश देंगे, वह करेंगे। रेलवे मंत्रालय अपने आप कुछ नहीं कर सकता है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। क्या रेलवे प्रशासन ने कोई कानूनी कार्यवाही की, क्या पुलिस में रिपोर्ट कराई ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : हम लोगों को इतनी ही कानूनी कार्यवाही करना है कि डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज को खबर कर दी जाये। जो कार्यवाही करना उनका फर्ज है.....

MR. SPEAKER : What he wants to know is whether anybody has been arrested and what action has been taken. If the Minister has that information he may give it.

SHRI R. L. CHATURVEDI : About arrests and all that I have no information.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह उत्तर पूरा नहीं है। रेलवे की पटरियों पर ताजिये रखना या कोई चीज रखना, जिससे रेलों के आने जाने में कठिनाई पैदा हो—यह रेलवे एक्ट के अन्तर्गत जुर्म है.....

MR. SPEAKER : He has said, "We reported to the Superintendent of Police and to the district authorities."

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इसके खिलाफ रेलवे पुलिस स्वयं कार्यवाही कर सकती है। मैं जानना चाहता हूं कि रेलवे पुलिस ने कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : इस चीज को माननीय सदस्य जरा समझने की कोशिश करें.....

श्री हुकम चन्द कछवाय : आप ने ही समझने का ठेका लिया है।

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे मामले में डिस्ट्रिक्ट अथोरिटीज को खबर करना पड़ता है, हम लोगों ने.....

श्री हुकम चन्द कछवाय : अगर कोई पटरी उखाड़ दे तो क्या आप कुछ नहीं करेंगे, आपको इस में करने का कोई अधिकार नहीं है ? अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का कोई उत्तर नहीं आया मैं जानना चाहता हूं कि इस में कितनी धन हानि हुई है ?

MR. SPEAKER : I am not allowing you. There must be a stop at some stage. There must be some limit.

श्री भारखंडे राव : मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह ताजिया या बहुत से ताजिये—चूंकि यह मामला रेलवे क्रासिंग पर हुआ था क्या लाइन पर रखे गये थे या लाइन के किनारे जो रोड थी, उस पर रखे गये थे ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : इनको लेबल क्रासिंग के गेट्स के पास जो सड़क एक तरफ बरेली को जाती है और दूसरी तरफ चन्दौसी को जाती है—जो कि गेट से 20-25 फुट की दूरी पर है, रखा गया था। लेकिन इस दरमियान जलूस के लोग काफी तादाद में वहां पर मौजूद थे। उन्होंने एक्जेक्टली लाइन के ऊपर या जरा हट कर रखा, इस सिलसिले में मैं बिलकुल ठीक तो नहीं बता सकता, लेकिन यह निश्चित है कि रेलवे किसी तरह से चल नहीं सकती थी, क्योंकि हमारा रास्ता ब्लाक था।

MR. SPEAKER : Calling-attention notice. Shri Rabi Ray.

SHRI BAL RAJ MADHOK : Sir, I want to put a question.

MR. SPEAKER : I have called him now.

SHRI BAL RAJ MADHOK : Sir, I protest. It is such an important question and you do not allow supplementaries.

MR. SPEAKER : I know it but you did not get up earlier.

SHRI BAL RAJ MADHOK : I stood up in the very beginning.

MR. SPEAKER : Shri Rabi Ray.

SHRI BAL RAJ MADHOK : I protest against this communal approach of the Government of India and those people who did it. Such a thing never happened any. where in the world, not even in the western countries. This must stop. I strongly protest against the policy that the Government of India is pursuing.

SHRI R. L. CHATURVEDI : This is a matter of opinion.

MR. SPEAKER : Do not add to my trouble. The moment you look at them and get up, you add to my trouble. Shri Rabi Ray.

———